HARYANA VIDHAN SABHA

Bill No. 5— HLA of 2024

THE CIGARETTES AND OTHER TOBACCO PRODUCTS (PROHIBITION OF ADVERTISEMENT AND REGULATION OF TRADE AND COMMERCE, PRODUCTION, SUPPLY AND DISTRIBUTION) HARYANA AMENDMENT BILL, 2024

A

BILL

further to amend the Cigarettes and Other Tobacco Products (Prohibition of Advertisement and Regulation of Trade and Commerce, Production, Supply and Distribution) Act, 2003, in its application to the State of Haryana.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Seventy-fifth Year of the Republic of India as follows:-

1. (1) This Act may be called the Cigarettes and Other Tobacco Products (Prohibition of Advertisement and Regulation of Trade and Commerce, Production, Supply and Distribution) Haryana Amendment Act, 2024. Short title and commencement.

(2) It shall come into force with effect from the date of its publication in the Official Gazette.

2. After clause (e) of section 3 of the Cigarettes and Other Tobacco Products (Prohibition of Advertisement and Regulation of Trade and Commerce, Production, Supply and Distribution) Act, 2003 (hereinafter called the principal Act), the following clause shall be inserted, namely:- Amendment of section 3 of Central Act 34 of 2003.

'(ee) "hookah bar" means any commercial establishment where people gather to smoke tobacco from a hookah or narghile which is provided individually as a commercial service but does not include a traditional hookah;'.

3. After section 4 of the principal Act, the following section shall be inserted, namely:- Insertion of section 4-A in Central Act 34 of 2003.

"4-A. Prohibition of hookah bar.- Notwithstanding anything contained in this Act, no person shall either on his own or on behalf of any other person, open or run any hookah bar or serve hookah to a customer in any place including an eating house.

Explanation.- For the purposes of this section, "eating house" means any place where food or refreshment of any kind is provided or sold to visitors for consumption.".

Amendment of section 12 of Central Act 34 of 2003.

4. In sub-section (1) of section 12 of the principal Act,-

(i) in clause (b), for the sign ".", the sign and word "; or" shall be substituted; and

(ii) after clause (b), the following clause shall be added, namely:-

"(c) where any hookah bar is being run.".

Insertion of section 13-A in Central Act 34 of 2003.

5. After section 13 of the principal Act, the following section shall be inserted, namely:-

"13-A. Power to seize hookah bar.- If any police officer of the rank of a Sub-Inspector or any officer of Food and Drugs Administration Department or any other officer authorized by the State Government, has reason to believe that the provisions of section 4-A have been, or are being, contravened, he may seize any material or article used as a subject or means of hookah bar.".

Amendment of section 20 of Central Act 34 of 2003.

6. In section 20 of the principal Act,-

(i) in sub-section (1),-

(a) for the sign and word ", or", occurring after the words "extend to two years", the word "and" shall be substituted;

(b) the signs and words ", or with both ," shall be omitted; and

(c) for the word " thousand" wherever occurring, the word "lakh" shall be substituted;

(ii) in sub-section (2),-

(a) for the sign and word ", or", occurring after the words"extend to one year", the word "and" shall be substituted;

(b) the signs and words ", or with both", shall be omitted; and

(c) for the word " thousand" wherever occurring, the word " lakh" shall be substituted.

Insertion of section 21-A in Central Act 34 of 2003.

7. After section 21 of the principal Act, the following section shall be inserted, namely:-

"21-A. Punishment for running hookah bar.- Whoever contravenes the provisions of section 4-A shall be punished with imprisonment for a term which shall not be less than one year but which may extend to three years and with fine which shall not be less than one lakh rupees but which may extend to five lakh rupees.".

8. In section 27 of the principal Act,- Amendment of section 27 of Central Act 34 of 2003.

(a) in the marginal heading, for the word " bailable", the words and sign " non-bailable" shall be substituted; and

(b) for the word "bailable", the words and sign "non-bailable" shall be substituted.

9. After section 27 of the principal Act, the following section shall be inserted, namely:- Insertion of section 27-A in Central Act 34 of 2003.

"27-A. Offence to be cognizable.- An offence under section 4-A shall be cognizable.".

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Whereas the State Government has taken a serious note that Hookah Bars are serving hookah narghile with tobacco containing nicotine in various Districts of Haryana, which is highly injurious to health of the public at large. Various flavours/herbs are also served by such Hookah Bars. Many a times, even banned drugs are served in the said hookah bars under the guise of serving flavours/herbs. Such hookah involves water pipe system and flavoured constituent shisha, heated with charcoal. Due to the misconception of less or no risk associated with it and availability of multiple flavours and less harshness of smoke its usage has increased significantly. However, smoke of such flavoured hookah contains various toxicants, which are not only harmful for the person smoking but also those nearby due to passive smoking. The Cigarettes and Other Tobacco Products (Prohibition of Advertisement and Regulation of Trade and Commerce, Production, Supply and Distribution) Act, 2003 defines smoking under section 3(n) but it does not include smoking of hookah.

In the interest of public at large, a legislation i.e. 'The Cigarettes and Other Tobacco Products (Prohibition of Advertisement and Regulation of Trade and Commerce, Production, Supply and Distribution) Haryana Amendment Bill, 2024' to define and to for prohibit 'hookah bars' and further that no Hookah/Narghile is served for smoking in Hookah Bars, Hotels, Restaurants, Taverns, or other commercial establishments in the State of Haryana and for matters connected therewith and incidental thereto, is required. Hence, this Bill.

ANIL VIJ,
Health Minister, Haryana.

Chandigarh : R.K. NANDAL,
The 21st February, 2024. Secretary.

N.B.— **The above Bill was published in the Haryana Government Gazette (Extraordinary), dated the 21st February, 2024, under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly.**

ANNEXURE

Extract of the Cigarettes and Other Tobacco Products (Prohibition of Advertisement and Regulation of Trade and Commerce, Production, Supply and Distribution) Act, 2003 (Central Act 34 of 2003)

Section 12 (1)

(a) xxxxx

(b) where any advertisement of the cigarettes or any other tobacco products has been or is being made.

Section 20 Punishment for failure to give specified warning and nicotine and tar contents

(1) Any person who produces or manufactures cigarettes or tobacco products, which do not contain, either on the package or on their label, the specified warning and the nicotine and tar contents, shall in the case of first conviction be punishable with imprisonment for a term which may extend to two years, or with fine which may extend to five thousand rupees, or with both, and for the second or subsequent conviction, with imprisonment for a term which may extend to five years and with fine which may extend to ten thousand rupees.

(2) Any person who sells or distributes cigarettes or tobacco products which do not contain either on the package or on their label, the specified warning and the nicotine and tar contents shall in the case of first conviction be punishable with imprisonment for a term, which may extend to one year, or with fine which may extend to one thousand rupees, or with both, and, for the second or subsequent conviction, with imprisonment for a term which may extend to two years and with fine which may extend to three thousand rupees.

Section 27 Offences to be bailable.-Notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure, 1973, an 2 of 1974 offence punishable under this Act shall be bailable.

10907—H.V.S.—H.G.P., Chd.

[प्राधिकृत अनुवाद]

हरियाणा विधान सभा

2024 का विधेयक संख्या–5 एच०एल०ए०

सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) हरियाणा संशोधन विधेयक, 2024 सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003 को, हरियाणा राज्यार्थ, आगे संशोधित करने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:–

1. (1) यह अधिनियम सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) हरियाणा संशोधन अधिनियम, 2024 कहा जा सकता है। संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ।

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से लागू होगा।

2. सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003 (जिसे, इसमें, इसके बाद मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के खण्ड (ङ) के बाद, निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात्:– 2003 के केन्द्रीय अधिनियम 34 की धारा 3 का संशोधन।

'(ङङ) ''हुक्का बार'' से अभिप्राय है, कोई भी वाणिज्यिक प्रतिष्ठान, जहां व्यक्ति हुक्का या नार्गली से तंबाकू का धूम्रपान करने के लिए एकत्रित होते हैं, जो कि एक वाणिज्यिक सेवा के रूप में व्यक्तिक रूप से उपलब्ध करवाया जाता है किन्तु इसमें परम्परागत हुक्का शामिल नहीं है;'।

3. मूल अधिनियम की धारा 4 के बाद, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :– 2003 के केन्द्रीय अधिनियम 34 में धारा 4–क का रखा जाना।

''4–क. हुक्का बार का प्रतिषेध.– इस अधिनियम में दी गई किसी बात के होते हुए भी, कोई भी व्यक्ति, न तो स्वयं या न ही किसी अन्य व्यक्ति के निमित्त, कोई हुक्का बार खोलेगा या चलाएगा या किसी भोजनालय सहित किसी भी स्थान पर ग्राहक को हुक्का परोसेगा।

व्याख्या.– इस धारा के प्रयोजनों हेतु, ''भोजनालय'' से अभिप्राय है, कोई स्थान, जहां आगन्तुकों को उपभोग के लिए किसी भी प्रकार का भोजन या जलपान उपलब्ध करवाया या बेचा जाता है।''।

2003 के केन्द्रीय अधिनियम 34 की धारा 12 का संशोधन।

4. मूल अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (1) में,–

(i) खण्ड (ख) में, चिह्न "।" के स्थान पर, "; या" चिह्न तथा शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे; तथा

(ii) खण्ड (ख) के बाद, निम्नलिखित खण्ड जोड़ा जाएगा, अर्थात्:–

"(ग) जहाँ पर कोई हुक्का बार चलाया जा रहा है।"।

2003 के केन्द्रीय अधिनियम 34 में धारा 13–क का रखा जाना।

5. मूल अधिनियम की धारा 13 के बाद, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:–

"13–क. हुक्का बार को जब्त करने की शक्ति.– यदि उप–निरीक्षक की पदवी के किसी पुलिस अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत खाद्य तथा औषधि प्रशासन विभाग के किसी अधिकारी या किसी अन्य अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि धारा 4–क के उपबन्धों का उल्लंघन किया गया है, या किया जा रहा है, तो वह हुक्का बार की विषय–वस्तु या साधन के रूप में उपयोग किए जा रहे किसी पदार्थ या सामग्री को जब्त कर सकता है।"।

2003 के केन्द्रीय अधिनियम 34 की धारा 20 का संशोधन।

6. मूल अधिनियम की धारा 20 में,–

(i) उपधारा (1) में,–

(क) "कारावास से जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी" शब्दों के बाद आने वाले "या" शब्द के स्थान पर, "और" शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ख) "अथवा दोनों से," शब्दों तथा चिह्न का लोप कर दिया जाएगा; तथा

(ग) "हजार" शब्द जहां कहीं भी आए, के स्थान पर, "लाख" शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा ;

(ii) उपधारा (2) में,–

(क) "कारावास से जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी" शब्दों के बाद आने वाले "या" शब्द के स्थान पर, "और" शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ख) "अथवा दोनों से" शब्दों का लोप कर दिया जाएगा; तथा

(ग) "हजार" शब्द जहां कहीं भी आए, के स्थान पर, "लाख" शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा।

2003 के केन्द्रीय अधिनियम 34 में धारा 21–क का रखा जाना।

7. मूल अधिनियम की धारा 21 के बाद, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:–

"21–क. हुक्का बार चलाने के लिए दण्ड.– जो कोई भी धारा 4–क के उपबन्धों का उल्लंघन करता है, तो ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष से कम की नहीं हो सकेगी किन्तु जो तीन वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से, जो एक लाख रूपए से कम का नहीं हो सकेगा किन्तु जो पाँच लाख रूपए तक का हो सकेगा, दण्डित किया जाएगा।"।

8. मूल अधिनियम की धारा 27 में,— 2003 के केन्द्रीय अधिनियम 34 की धारा 27 का संशोधन।

(क) उपांतिक शीर्ष में, ''जमानतीय'' शब्द के स्थान पर, ''अजमानतीय'' शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा; तथा

(ख) ''जमानतीय'' शब्द के स्थान पर, 'अजमानतीय'' शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा।

9. मूल अधिनियम की धारा 27 के बाद, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:— 2003 के केन्द्रीय अधिनियम 34 में धारा 27—क का रखा जाना।

''27—क. अपराध का संज्ञेय होना.—धारा 4—क के अधीन अपराध संज्ञेय होगा।''।

उद्देश्यों एवं कारणों का विवरण

जबकि, राज्य सरकार ने इस बात को गंभीरता से लिया है कि हरियाणा के विभिन्न जिलों में हुक्का बार निकोटीन युक्त तंबाकू के साथ हुक्का/नार्गली परोस रहे हैं, जो बड़े पैमाने पर जनता के स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक है। ऐसे हुक्का बारों द्वारा विभिन्न स्वाद/जड़ी–बूटियाँ भी परोसी जाती हैं। कई बार तो उक्त हुक्का बारों में स्वाद/जड़ी–बूटी परोसने की आड़ में प्रतिबंधित दवाएं भी परोसी जाती हैं। इस तरह के हुक्का में पानी की पाइप प्रणाली और चारकोल के साथ गर्म किया गया स्वादयुक्त घटक शीशा शामिल होता है। इससे जुड़े जोखिम कम या न होने की गलत धारणा और कई स्वादों की उपलब्धता तथा धुएं की कम कठोरता के कारण इसका उपयोग काफी बढ़ गया है। हालाँकि, ऐसे स्वाद वाले हुक्के के धुएं में विभिन्न विषाक्त पदार्थ होते हैं, जो न केवल धूम्रपान करने वाले व्यक्ति के लिए बल्कि निष्क्रिय धूम्रपान के कारण आस–पास के लोगों के लिए भी हानिकारक होते हैं। सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का निषेध और व्यापार और वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003 धारा 3(ढ) के तहत धूम्रपान को परिभाषित करता है लेकिन इसमें हुक्का पीना शामिल नहीं है।

जनता के व्यापक हित को ध्यान में रखते हुए, एक विधेयक यानी 'सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य,उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) हरियाणा संशोधन विधेयक, 2024' को परिभाषित करने, और 'हुक्का बार' को प्रतिबंधित करने और इसके अलावा, हरियाणा राज्य में हुक्का बार, होटल, रेस्तरां, शराबखाने या अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में धूम्रपान के लिए कोई हुक्का/नार्गली न परोसा जाए और उससे जुड़े और उसके प्रासंगिक मामलों के लिए यह विधेयक आवश्यक है। इसलिए यह विधेयक प्रस्तुत है।

अनिल विज,
स्वास्थ्य मंत्री, हरियाणा।

चण्डीगढ़ : आर०के०नांदल,
दिनांक 21 फरवरी, 2024 सचिव।

अवधेयः उपर्युक्त विधेयकं हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 128 के परन्तुक के अधीन दिनांक 21 फरवरी, 2024 के हरियाणा गवर्नमैंट गजट (असाधारण) में प्रकाशित किया था।

अनुबन्ध

सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम संख्यांक 34) से उद्धरण।

धारा–12 (1)

(क) XXXX

(ख) जहां सिगरेटों या किन्हीं अन्य तंबाकू उत्पादों का कोई विज्ञापन किया गया है या किया जा रहा है।

धारा–20 विनिर्दिष्ट चेतावनी देने और निकोटीन तथा टार अंतर्वस्तु का उपदर्शन करने में असफल रहने पर दंड–

(1) ऐसा कोई व्यक्ति, जो ऐसी सिगरेटों या ऐसे तम्बाकू उत्पादों का उत्पादन या विनिर्माण करेगा जिन पर या तो पैकेज पर या उनके लेबल पर विनिर्दिष्ट चेतावनी और निकोटीन और टार अंतर्वस्तु नहीं दी गई है, प्रथम दोषसिद्धि की दशा में, कारावास से जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा अथवा दोनों से, तथा द्वितीय या पश्चात्वर्ती दोषसिद्धि की दशा में, कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से, जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।

(2) ऐसा कोई व्यक्ति, जो ऐसी सिगरेटों या तम्बाकू उत्पादों का विक्रय या वितरण करेगा जिन पर या तो पैकेज पर या उनके लेबल पर विनिर्दिष्ट चेतावनी और निकोटीन तथा टार अंतर्वस्तु नहीं दी गई है, प्रथम दोषसिद्धि की दशा में, कारावास से जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा अथवा दोनों से तथा द्वितीय या पश्चात्वर्ती दोषसिद्धि की दशा में, कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से, जो तीन हजार रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।

धारा–27 अपराधों का जमानतीय होना–दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन दंडनीय अपराध जमानतीय होगा।

10907—H.V.S.—H.G.P., Chd.